Government of Bihar
Department of Environment, Forest and Climate Change

NOTIFICATION

No. 04/Ara Mill/ Veneer Mill-01/2025 ..6482.. Env. For. C.C. dated..13/10/26

In exercise of the powers conferred under section 32 of The Bihar Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Act, 2025 (Bihar Act-4, 2025) the Governor of Bihar is pleased to make following rules for amendment in the Bihar Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Rules, 2025.

1. **Short title, extent and commencement: -**
   1 These rules may be called the Bihar Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) (Amendment) Rules, 2026.
   2 It extends to the whole of the State of Bihar.
   3 It shall come into force from the date of publication in the official gazette.
2. **Amendment in Rule- 3 of the Bihar Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Rules, 2025: -**

   Sub rule (1) of Rule-3 is substituted as follows:

   (1). The application to establish Wood-Based Industry shall be in Form-A.

3. **Amendment in Rules- 5 of The Bihar Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Rules, 2025:-**

   Sub rule (2) of Rule- 5 is substituted as follows :
   (2). The application fee for the renewal of the license for the Wood-Based Industry shall be rupees ten thousand, rupees twenty thousand and rupees twenty five thousand for Saw mill, Veneer mill and plywood industry/others respectively.

   In case, the licensee applies for renewal of license after expiry date of the license but before one year from expiry date of the license, he shall apply for renewal of license with a fine amount which will be equal to fifty percent of the application fee.

   In case, the licensee applies for renewal of license after one year from expiry date of license, he shall apply for renewal of license with a fine amount which will be equal to hundred percent of the application fee.

   Provided that in case of non-renewal of license by the licensee for five consecutive years the Licensing Officer after asking show cause from the

concerned licensee and in absence of any valid reason, may cancel the said license.

4. Amendment in Rule- 6 of The Bihar Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Rules, 2025:-

(i). Sub-rules (1), (2), (3) and (4) of Rule-6 are substituted as follows:

(1). Shifting of location of Wood-Based Industry from one place to another within same forest division shall be done only by the approval of the concerned Divisional Forest Officer cum Licensing Officer.

In case of shifting of location of Wood-Based Industry from one Forest Division to another Forest Division the same shall be done after approval of the State Level Committee.

(2). The application for shifting of location of Wood-Based Industry shall be submitted by the licensee to the Licensing Officer, in whose jurisdiction the shifting is proposed, in Form-C. The application fee for the shifting of location of the wood-based industry shall be rupees five thousand, rupees ten thousand and rupees fifteen thousand for saw mill, Veneer mill and plywood industry/others respectively.

(3). In case shifting of location of wood-based industry is proposed from one Forest Division to another Forest Division, a copy of the application shall be submitted by the licensee to the Licensing officer, in whose jurisdiction the wood-based industry is proposed to be established.

(4). On receipt of application for shifting of location of wood-based Industry, within the same Forest Division, the licensing officer after making such inquiry, as he may deem fit, shall pass on order within a period of 30 days on receipt of the application. No. order of refusal for shifting of location of wood-based industry shall be passed unless the licensee has been given reasonable opportunity of being heard.

ii. Sub-rule (5) and (6) after subrule (4) of the rule-6 shall be added as follows:

(5). In case of proposal of shifting of location of wood-based Industry from one Forest Division to another Forest Division the licensing officer after making such inquiry, as he may deem fit, shall forward his report along with Form-C/1, with his recommendation whether in his opinion the shifting of location of wood-based industry may be permitted or not, with reasoning to the State Level Committee within 30 days for approval. The State Level Committee shall consider the proposal

and grant his approval. In case of refusal in approval the licensee shall be given reasonable opportunity of being heard.

(6). Before the operation of wood-based industry at the new location, the licensee shall remove his existing unit from the old location and shall obtain a certificate to this effect from the concerned licensing officer.

5. Amendment in Rule- 7 of The Bihar Wood Based Industries (Establishment and Regulation) Rules, 2025:-

(i). After sub-rule (2) of Rule- 7 the sub-rule (2a) is added as follows :

(2a). The application for transfer of license under any other Instrument of Transfer shall be submitted by transferee to the Licensing officer in the Form D/1.

The application fee for the transfer of the license for the wood-based industry shall be rupees five thousand and rupees ten thousand, rupees fifteen thousand for saw mill, Veneer mill and plywood industry/others respectively.

(ii). Sub Rule (3) of rule -7 is substituted as follows :

(3). In case of transfer by succession the license shall be transferred in name of natural successor/successors on basis of succession list issued by the competent authority and the No Objection Certificates executed by any of the successors.

(iii). Sub Rule (4) of Rule-7 is omitted.

(iv). Sub Rule (5) of Rule-7 is substituted as follows:

(5). On receipt of application for transfer of license, the Licensing Officer shall issue notice to the concerned parties. After hearing of the parties concerned and examination of documents related with the transfer, a report, along with Form-D/2 with the recommendation whether in his opinion the transfer of license shall be permitted or not, with reasoning, will be sent by the Licensing Officer to the State Level Committee within 30 days, for approval. The State Level Committee shall consider the proposal and grant his approval. In case of refusal in approval the parties concerned shall be given reasonable opportunity of being heard.

(v). Sub rule (6) of Rule- 7 is omitted.

(vi). New sub-rules (6a), (6b), (6c) and 6(d) of Rule-7 are added as follows:

(6a). In case any party concerned do not appear in hearing the application of transfer of license shall be disposed on basis of available documents after the notice of date of hearing is published in local newspaper.

(6b). In case of any dispute between the party concerned any decision shall be taken after dispute is resolved by the competent forum.

(6c). Any instrument of transfer of license by sale or partnership etc. executed in violation of provisions made in Bihar Saw Mills (Regulation) Act, 1990 shall be considered on deposit of a fine of rupees ten thousand along with the Form-D.

(6d). In the matter of transfer of license other than that by succession, after approval by the State Level Committee, the renewal of License shall be made in the name of transferee as per the provisions under Rule- 3 and 5 of these rules.

6. Amendment in Rule- 8 of The Bihar Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Rules, 2025:-

(i). Sub-rule (2) of Rule- 8 is substituted as follows :

(2). On receipt of an application, the licensing officer, may, after making such inquiry as he may deem fit, dispose of the application within 30 days of receipt of the application.

Provided that no order of refusing the proposed expansion shall be passed unless the applicant has been given opportunity of being heard.

(ii). Sub rule (3) of Rule-8 is omitted.

7. Amendment in Rule- 10 of The Bihar Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Rules, 2025:-

Sub-rule (3) of Rule 10 is substituted as follows :

(3). The licensee shall submit the returns of these accounts to the concerned licensing officer for the months January to June in the month of July and for the months July to December in the month of January.

8. After Rule- 14 a new Rule- 15 is added as follows :

15. **Prescribed Authority under Section 6 of the Act:** The Conservator of Forests shall be the Prescribed Authority under section 6 of the Act within his/her jurisdiction.

By order of the Governor of Bihar

13/10/26

(Anand Kishor)
Additional Chief Secretary
Government of Bihar

Memo No.- 04/ Ara mill/ Veneer mill-01/25.6482...../E.F.,Patna-15, Dated- ...13/10/26

Copy to the Under Secretary, e-gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna (along with C.D. and two hard copy) for information and necessary action. He is requested to publish this notification in the next extraordinary issue of Bihar Gazette for the knowledge of general public.

Kindly send 500 copies of special Gazette to the Environment, Forest & Climate change Department, Bihar, Patna.

13/10/26

(Anand Kishor)
Additional Chief Secretary
Government of Bihar

Memo No.- 04/ Ara mill/ Veneer mill-01/25.6482...../E.F.,Patna-15, Dated- ...13/10/26

Copy to Principal Secretary to the Governor of Bihar/ Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Bihar, Principal Secretary to the Hon'ble Minister Environment, Forest and Climate Change Department/Advocate General, Bihar, Patna/chief Secretary, Bihar/ All Principal Secretary & Secretary/All Head of the Departments/All Divisional Commissioners/ Chairman, Bihar State pollution Control Board, Patna/ member Secretary, Bihar State pollution Control Board, Patna/Private Secretary to the Hon'ble Deputy Chief (Environment, Forest and Climate Change) Minister/ Principal Private Secretary to the Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department and all Officers of Environment, Forest and Climate Change Department for information and necessary action.

13/10/26

(Anand Kishor)
Additional Chief Secretary
Government of Bihar

Memo No.- 04/ Ara mill/ Veneer mill -01/25.6482...../E.F.,Patna-15, Dated- ...13/10/26

Copy to Principal Chief Conservator of Forest, Bihar, Patna/Additional Principal Chief Conservator of Forest, Bihar, Patna/All Regional Chief Conservator of Forest/ All Chief Conservator of Forest/ All Conservator of Forest/All Divisional\Forest officer for information and necessary action.

13/10/26

(Anand Kishor)
Additional Chief Secretary
Government of Bihar

Memo No.- 04/ Ara mill/ Veneer mill-01/25....6482..../E.F.,Patna-15, Dated- 13/10/26

Copy to Additional Chief Secretary, Cabinet Secretariat Department, Bihar, Patna for information and necessary action.

13/10/26

(Anand Kishor)
Additional Chief Secretary
Government of Bihar

Memo No.- 04/ Ara mill/ Veneer mill -01/25....6482..../E.F.,Patna-15, Dated- 13/10/26

Copy to I.T. Manager, Environment, Forest and Climate Change Department, Bihar Patna for Uploading it on the Departmental Website.

13/10/26

(Anand Kishor)
Additional Chief Secretary
Government Bihar

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संख्या–04 / आरा मिल / विनियर मिल–01 / 2025 6482 / प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक– 13/10/26

बिहार काष्ठ–आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम–4, 2025) की धारा 32 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल बिहार काष्ठ–आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) नियमावली, 2025 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभः –

1. यह नियमावली बिहार काष्ठ–आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2026 कही जा सकेगी।
2. इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
3. यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार काष्ठ–आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) नियमावली, 2025 के नियम–3 में संशोधन :–

नियम–3 के उप नियम (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(1). काष्ठ–आधारित उद्योग स्थापित करने का आवेदन प्रपत्र–क में होगा।

3. बिहार काष्ठ–आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) नियमावली, 2025 के नियम–5 में संशोधन :–

नियम–5 के उप–नियम (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(2). काष्ठ–आधारित उद्योग की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन शुल्क, आरा मिल, विनियर मिल और प्लाईवुड उद्योग / अन्य के लिए क्रमशः दस हजार रुपये, बीस हजार रुपये और पच्चीस हजार रुपये होगा।

यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की समाप्ति तिथि के बाद लेकिन अनुज्ञप्ति की समाप्ति तिथि के एक वर्ष के भीतर अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए आवेदन करता है, तो वह आवेदन शुल्क के पचास प्रतिशत की अर्थदंड (जुर्माना) राशि के साथ अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करेगा।

यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की समाप्ति तिथि के एक वर्ष के बाद अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करता है, तो वह आवेदन शुल्क के सौ प्रतिशत की अर्थदंड राशि के साथ अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करेगा।

परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगातार 5 वर्षों तक अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं कराये जाने की स्थिति में अनुज्ञापन पदाधिकारी संबंधित अनुज्ञप्तिधारी से कारण पृच्छा करते हुए युक्तियुक्त कारण नहीं होने की स्थिति में उक्त अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा।

4. बिहार काष्ठ–आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) नियमावली, 2025 के नियम–6 में संशोधन :–

(i) नियम–6 के उप–नियम (1), (2), (3) एवं (4) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

(1). उसी वन प्रमंडल के भीतर काष्ठ–आधारित उद्योग के स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना केवल संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी की स्वीकृति से ही किया जाएगा।

एक वन प्रमंडल से दूसरे वन प्रमंडल में काष्ठ–आधारित उद्योग के स्थान के स्थानांतरण के मामले में, यह राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति के बाद किया जाएगा।

(2). काष्ठ–आधारित उद्योग के स्थान के स्थानांतरण का आवेदन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस अनुज्ञप्ति पदाधिकारी को, जिसके अधिकार क्षेत्र से स्थानांतरण प्रस्तावित है, प्रपत्र–ग में प्रस्तुत किया जाएगा। काष्ठ–आधारित उद्योग के स्थान के स्थानांतरण के लिए आवेदन शुल्क, आरा मिल, विनियर मिल और प्लाईवुड उद्योग/अन्य के लिए क्रमशः पांच हजार रुपये, दस हजार रुपये और पंद्रह हजार रुपये होगा।

(3). यदि काष्ठ–आधारित उद्योग के स्थान का स्थानांतरण एक वन प्रमंडल से दूसरे वन प्रमंडल में प्रस्तावित है, तो आवेदन की एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस अनुज्ञप्ति पदाधिकारी को भी प्रस्तुत की जाएगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में काष्ठ–आधारित उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(4). उसी वन प्रमंडल के भीतर काष्ठ–आधारित उद्योग के स्थान के स्थानांतरण का आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्ति पदाधिकारी ऐसी जांच करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा। काष्ठ–आधारित उद्योग के स्थान के स्थानांतरण को अस्वीकार करने का कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(ii) नियम–6 के उप नियम–(4) के बाद उप नियम–(5) एवं (6) निम्नवत् जोड़े जाते हैं:–

(5). एक वन प्रमंडल से दूसरे वन प्रमंडल में काष्ठ–आधारित उद्योग के स्थान के स्थानांतरण के प्रस्ताव के मामले में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा काष्ठ आधारित उद्योग के स्थापित क्षेत्र से संबंधित अनुज्ञापन पदाधिकारी से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने इकाई के स्थान के स्थानांतरण के आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा। जिस क्षेत्र में इकाई का स्थानांतरण प्रस्तावित है उस क्षेत्र के अनुज्ञापन पदाधिकारी ऐसी जांच करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, अपनी रिपोर्ट इस अनुशंसा के साथ कि उसकी राय में काष्ठ–आधारित उद्योग के स्थान के स्थानांतरण की अनुमति दी जा सकती है या नहीं, कारणों सहित, अनुमोदन के लिए 30 दिनों के भीतर राज्य स्तरीय समिति को अग्रेषित करेगा। राज्य स्तरीय समिति प्रस्ताव पर विचार करेगी और अपना अनुमोदन प्रदान करेगी। अनुमोदन अस्वीकार करने के मामले में, अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

(6). नये स्थान पर काष्ठ–आधारित उद्योग के संचालन से पूर्व, अनुज्ञप्तिधारी अपने पुराने स्थान से मौजूदा इकाई को हटा लेगा और इस आशय का एक प्रमाण पत्र संबंधित अनुज्ञापन पदाधिकारी से प्राप्त करेगा।

5. बिहार काष्ठ–आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) नियमावली, 2025 के नियम–7 में संशोधन :–

(i) नियम–7 के उप–नियम (2) के बाद उप नियम–(2क) निम्नवत् जोड़ा जाता है:–

(2क). किसी अन्य हस्तांतरण विलेख (Instrument of Transfer) के तहत अनुज्ञप्ति के हस्तांतरण के लिए आवेदन हस्तांतरी (transferee) द्वारा अनुज्ञप्ति पदाधिकारी को प्रपत्र–घ/1 में प्रस्तुत किया जाएगा।

काष्ठ–आधारित उद्योग के लिए अनुज्ञप्ति के हस्तांतरण के लिए आवेदन शुल्क आरा मिल, विनियर मिल, प्लाईवुड उद्योग/अन्य के लिए क्रमशः पांच हजार रुपये, दस हजार रुपये, पंद्रह हजार रुपये होगा।

(ii) नियम–7 के उप नियम–(3) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:–

(3). उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरण के मामले में, सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी उत्तराधिकार सूची और सभी उत्तराधिकारी द्वारा निष्पादित अनापत्ति प्रमाण पत्रों (No Objection Certificates) के आधार पर अनुज्ञप्ति को प्राकृतिक उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों के नाम पर हस्तांतरित किया जाएगा।

(iii) नियम–7 के उप–नियम (4) को विलोपित (omit) किया जाता है :–

(iv) नियम–7 के (उप नियम–(5) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(5). अनुज्ञप्ति के हस्तांतरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्ति पदाधिकारी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करेगा। संबंधित पक्षों की सुनवाई और हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद, अपनी इस अनुशंसा के साथ कि उसकी राय में अनुज्ञप्ति के हस्तांतरण की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, कारणों सहित, अनुज्ञापन पदाधिकारी एक रिपोर्ट प्रपत्र–घ/2 के साथ, अनुमोदन के लिए 30 दिनों के भीतर राज्य स्तरीय समिति को भेजेगा। राज्य स्तरीय समिति प्रस्ताव पर विचार करेगी और अपना अनुमोदन प्रदान करेगी। अनुमोदन अस्वीकार करने के मामले में, संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

(v) नियम–7 के उप–नियम (6) को विलोपित (omit) किया जाता है।

(vi) नियम–7 के नये उप नियम–(6क), (6ख), (6ग) एवं (6घ) निम्नवत् जोड़े जाते हैं:–

(6क). यदि कोई संबंधित पक्ष सुनवाई में उपस्थित नहीं होता है, तो स्थानीय समाचार पत्र में सुनवाई की तिथि का नोटिस प्रकाशित होने के बाद, उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अनुज्ञप्ति के हस्तांतरण के आवेदन का निपटारा किया जाएगा।

(6ख). संबंधित पक्षों के बीच किसी भी विवाद के मामले में, सक्षम मंच (Competent forum) द्वारा विवाद का समाधान होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

(6ग). बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 में किए गए प्रावधानों के उल्लंघन में बिक्री या साझेदारी आदि जैसे किसी विलेख के निष्पादन द्वारा अनुज्ञप्ति के हस्तांतरण के संबंध में प्रपत्र–घ के साथ दस हजार रुपये का जुर्माना जमा करने पर विचार किया जाएगा।

(6घ). उत्तराधिकारी के मामले के अतिरिक्त अन्य अनुज्ञप्ति हस्तांतरण के मामलों में अनुज्ञप्ति के हस्तांतरण आवेदन पर राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरांत इस नियमावली के नियम 3 एवं 5 के प्रावधानुसार अनुज्ञप्ति का नवीकरण हस्तांतरी (Transferee) के नाम से किया जाएगा।

6. बिहार काष्ठ–आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) नियमावली, 2025 के नियम–8 में संशोधन :–

(i) नियम–8 के उप–नियम (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(2). आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञापन पदाधिकारी, ऐसी जांच करने के बाद जैसा वह उचित समझे, आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन का निपटारा कर सकता है।

परन्तु यह कि प्रस्तावित विस्तार को अस्वीकार करने का कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।

(ii) नियम–8 के उप–नियम (3) को विलोपित किया जाता है।

7. बिहार काष्ठ–आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) नियमावली, 2025 के नियम–10 में संशोधन :–

नियम–10 के उप–नियम (3) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(3). अनुज्ञप्तिधारी इन खातों का विवरणी (return) संबंधित अनुज्ञापन पदाधिकारी को जनवरी से जून महीनों के लिए जुलाई के महीने में और जुलाई से दिसंबर महीनों के लिए जनवरी के महीने में समर्पित करेगा।

8. नियम 14 के बाद एक नया नियम 15 निम्नवत् जोड़ा जाता है :–

15. अधिनियम की धारा 6 के तहत विहित प्राधिकार (Prescribed Authority): वन संरक्षक (Conservator of Forests) अधिनियम की धारा 6 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के लिए विहित प्राधिकार होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13/10/26

(आनन्द किशोर)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–04/आरा मिल/विनियर मिल–01/2025 6482 /प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक– 13/10/26

प्रतिलिपि :– ई. गजट कोषांग, वित्त विभाग को (सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित) बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ।

2. इसकी दो सौ (200) मुद्रित प्रतियाँ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

13/10/26

(आनन्द किशोर)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–04/आरा मिल/विनियर मिल–01/2025 6482 /प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक– 13/10/26

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के आप्त सचिव/महालेखाकार, बिहार/महाधिवक्ता, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा भवन, जोरबाग, अलीगंज मार्ग, नई दिल्ली–110003/अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सभी मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सभी वन संरक्षक, बिहार/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, बिहार/सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/10/26

(आनन्द किशोर)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–04/आरा मिल/विनियर मिल–01/2025 6482 /प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक– 13/10/26

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक..... में मद संख्या–..... के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत प्रस्ताव के अनुपालन के क्रम में प्रेषित।

(आनन्द किशोर) 13/10/26
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–04/आरा मिल/विनियर मिल–01/2025 6482 /प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक– 13/10/26

प्रतिलिपि :– आई० टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर) 13/10/26
अपर मुख्य सचिव